

06/5/24

प्राकल्पी वेश हों। इच्छिवरता प्राची उपरी
विपक्षी से ० की जोर से रिकोड 29/2/2024
को वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया
जो शतशत पर किया जावे। परोक्ष
परक्षा उपस्थित

विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने
बदल इच्छिवरता उभय पक्ष सुनी गयी
हमने प्राकल्पी का गठन ही अध्ययन
का बदल उभय पक्ष पर भजन किया।
प्राची द्वारा प्राचीना पर इस आशय पर
प्रस्तुत किया कि ग्राम जालामपुरा स्थित

.....
लगातार

2

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
वितीइगढ़ (राज.)

आरजी संख्या 383 भी रकबा 0.23 हे. को
 पाणी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ करवा
 विपक्षी संख्या 01 को विपक्ष कर दी गइ है
 अतः उक्त भूमि को विपक्षी सं. 01 के नाम
 दर्ज काले का अंशेष पदात किचा जावे
 अंशेष यह उल्लेखनीय है कि धारा 136 CR Act
 के तहत ग्राह लेटलमेन्ट के मुकामले नवीन
 रेकार्ड में कोई नूटि रइजली है तो उसे सुद्धि किर
 जाने के प्रावस्था है, जबकि पल्लुत प्रकरण
 नाम परिवर्तन किर जाने बकर है, जिलेस
 प्रकरण धारा 136 CR Act के तहत दोषवीय
 नहीं है। अतः 'पाणी' का आवासीय पत्र
 ववासीय किचा जाता है। पाणी दालत शुभा
 होकर नम्बर से काम ली।

(बीनू देवल)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपसचिव अधिकारी
 वितीकरण (राज.)